<u>परिवादी साक्षी कं0–1 प्रेमा देवी को शपथ दिलायी जाकर 11:00 बजे प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गयाः–</u>

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री प्रमोद सोनी वास्ते आरोपी</u>

13. मैं पढी–लिखी नहीं हूं, केवल अपना नाम लिखना जानती हूं। मैं कोई कार्य नहीं करती, गृहिणी महिला हूं। ओमप्रकाश तिवारी मेरा पति है। मेरा संरक्षण एवं देखभाल उन्हीं के द्वारा किया जाता है। मेरा पृथक से आय का कोई श्रोत नहीं है।

14. मेरे परिवार में मेरी तीन पुत्री है जिनका विवाह हो गया है। इसके अलावा मेरा एक पुत्र विवेक तिवारी एवं मेरा पति व मेरी बहू साथ रहती है। मेरे पति की बस ट्रेवल्स का काम है। मेरा लडका विवेक अपने पिता के साथ ट्रेवल्स का कार्य देखता है। हम लोग की 6–7 बसे हैं जो महामाया ट्रेवल्स के नाम से चलते हैं।

15. मेरा पति व पुत्र दोनों मिलाकर एक–डेढ लाख महिना कमा लेते हैं। हम लोगों के द्वारा एक दुकान भी किराया में दिया गया है जिससे 12,000/–रू0 मासिक आय होती है। इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के अन्य कोई आय का श्रोत नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा परिवाद पत्र व प्रस्तुत शपथ पत्र धारा–145 में उल्लेखित कथन को नहीं पढी थी और न ही मुझे पढकर सुनाया गया था। मैने केवल हस्ताक्षर किया था।

16. मैने आरोपी को साढे तीन लाख रूपये नगद उधार दी थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि उक्त उधार राशि के बदले अभियुक्त द्वारा मुझे दो चैक प्रदान किये थे। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आरोपी को उक्त रकम नगद दिया था या चेक से दिया था उल्लेखित नहीं किया गया है और न ही किस दिनांक को और कहां पर दिया गया था इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं धारा 145 में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं मेरे अधिवक्ता द्वारा प्रेषित नोटिस में मेरे द्वारा आरोपी को साढे तीन लाख रूपये देना उल्लेखित नहीं है।

17. आरोपी मेरे पति ओमप्रकाश तिवारी का मित्र थे और घर पर आना जाना लगा रहता था। मैं आरोपी के परिवार में कितने सदस्य हैं नहीं बता सकती। मैं आरोपी की पत्नी का नाम भी नहीं जानती। मैं आरोपी के घर में कभी नहीं गयी हूं। आरोपी को मैने जो साढे तीन लाख रूपये देना बता रही हूं उससे पूर्व कभी कोई रकम उधार मे नहीं दी थी। पहले आरोपी मेरी दुकान जो कि अग्रसेन चौक में हैं किराये में चलाता था। वर्तमान में क्या कार्य करता है मुझे नहीं मालूम।

18. यह कहना सही है कि मेरे पति ओम प्रकाश तिवारी के द्वारा भी आरोपी के विरूद्ध 10,00,000/–रू0 उधार में देना बताते हुये चेक बाउंस या चेक अनादरित होने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। आरोपी ने अपने व्यावसायिक कार्य हेतु रूपये उधार में मांगे थे। मैं आज नहीं बता पाउंगी कि आरोपी किस व्यावसाय के लिये रूपये उधार में लिये थे। आरोपी के द्वारा मुझसे उक्त उधार की रकम लेकर गये थे। मेरे पति द्वारा मुझे वैवाहिक जीवनकाल से समय–समय पर आवश्यकता हेतु रकम दिया जाता रहा था। जिसे में बचत कर–करके अपने पास रखती गयी। उक्त जमा धन से अभियुक्त को मैंने रकम उधार दी थी। उक्त रकम मैं अपने घर में अपने पास रखती थी।

19. यह कहना सही है कि साढे तीन लाख बडी रकम होती है और मैं किसी को उधार दुंगी तो लिखापढी करके ही दूंगी। यह कहना सही है कि मैने आरोपी को उधार में दिये गये रकम के संबंध में कोई लिखापढी नहीं की थी। मुझे इस बात की जानकारी है कि मेरे पति ओमप्रकाश तिवारी द्वारा 10,00,000/–रू0 आरोपी को अलग से उधार दिया है जिसका प्रकरण पृथक से चल रहा है। यह कहना सही है कि मेरे पति के द्वारा भी 10,00,000/–रू0 आरोपी को दिये जाने के संबंध में लिखापढी की गयी थी या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं आज नहीं बता सकती कि आरोपी को किस दिन व दिनांक पर रकम दी थी।

20. मैने आरोपी को जिस दिन उधार दी थी उसी दिन आरोपी से एक चेक लिया था। मैने आरोपी से जो चेक लिया था वह कोरा था उसमें केवल दस्तखत था। मैं आज नहीं बता सकती कि चेक भुगतान हेतु किस दिनांक को बैंक में जमा की थी और किस दिन बाउंस होकर प्राप्त हुआ था। यह कहना सही है कि प्र0पी01 का चेक भुगतान हेतु मेरे स्वयं द्वारा बैंक में प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

21. यह कहना सही है कि अग्रसेन चौक राम सागर पारा में मेरा दुकान है जिसे मैने वर्ष 2017 में आरोपी को किराये पर दिया था। आज मुझे याद नहीं है कि दुकान किराये में देते समय किरायानामा बनाया था। आरोपी के द्वारा दुकान साल भर किराये में चलाया था। मैं नहीं बता सकती कि आरोपी जब दुकान किराये में लिया था तो सुरक्षा में कोई रकम दी थी या नहीं। आज मुझे याद नहीं है कि दुकान किराये में देते समय आरोपी से सुरक्षानिधि ा बतौर 10,00,000/–रू0 की मांग की थी। मुझे आज याद नहीं है कि आरोपी द्वारा फाइनेंस कराकर सुरक्षानिधि की राशि जमा करने की बात कही गयी थी। यह कहना गलत है कि हम आरोपी पर दबाव डाल रहे थे कि सुरक्षानिधि जमा करो या दुकान खाली करो।

22. मैं अपने पति के हस्ताक्षर को नहीं पहचानती। यह कहना गलत है कि किराये में जो दुकान आरोपी के द्वारा लिया गया था उसकी सुरक्षा बतौर मेरे पति के द्वारा आरोपी के साथ रकम प्राप्ति अभिस्वीकृति पत्र निष्पादित किया गया था जो मूल का फोटोकापी है प्र0डी01 है, डी0–1–सी तीन पन्नों में है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि परिवाद में अंकित चेक का क्रमांक तथा प्रदर्शडी–1 में अंकित है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रदर्शडी–1 के एग्रीमेंट में मेरा पति हस्ताक्षर किये थे या अंगूठा लगाये थे। यह कहना गलत है कि मेरे एवं मेरे पति के द्वारा आरोपी से किराया परिसर के सुरक्षानिधि बतौर प्राप्त चेक का दुरूपयोग करते हुये आरोपी के विरूद्ध झूठा परिवाद प्रस्तुत की हूं। यह कहना गलत है कि मैने आरोपी को रकम उधार नहीं दी हूं।

प्रतिपरीक्षण समाप्त।
समय 12:45 बजे।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया ।

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

सही/–
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर (छ.ग.)